

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),
(झालको), राँची, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18-12-13

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / 50P470200796200543	55.00

आवंटित राशि - ₹ पचपन लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 200.00 लाख (दो करोड) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जाएगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल-3, राँची एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

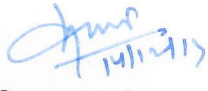
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
15. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
16. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
17. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

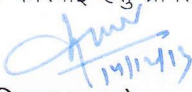
ज्ञापांक :-

161

राँची, दिनांक :- 18-12-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

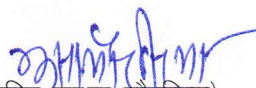
161

राँची, दिनांक :- 18-12-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक -

161

/ संघी, दिनांक - 18-12-13

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुसूक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण,
विपत्र कोड-50P470200796200543

बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रू. 200.00 लाख

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 13 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति	
						प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	प्रबंध निदेशक, झालाको	सिंहभूम पूर्व	सोनाहातु	काशीडीह	काशीडीह तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	17.620	93.90	0.00	25.00	25.00		
2			सिल्ली	कोचोजोरा	कोचोजोरा तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	32.940		0.00				
3			सिल्ली	लगाम-1	लगाम तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	9.520		0.00				
4			सिल्ली	सिल्ली	दीवान बाँध तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	43.020		0.00				
5			चान्हो	करमटोली	बेवरिया बाँध का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	13.000		0.00				
6			कांके	बनहारा	बनहारा तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	12.611		0.00				
7			रातू	जाड़ी	जाड़ी तालाब का जीर्णोद्धार	74/31.03.12	42.117		0.00				
8			लातेहार	लातेहार	परसही	पिंडरही आहर का जीर्णोद्धार।	74/31.03.12		16.957			0.00	
9			जमशेदपुर	इन्दुरमाटी	चकुलीगड्डिया सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	24.390		0.00				
10				इन्दुरमाटी	विकास सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	28.230		0.00				
11				इन्दुरमाटी	भुदरुडीह सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	50.770		0.00			30.00	
12				इन्दुरमाटी	सोरगागोडा सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	21.860		0.00			30.00	
13				सिलपहाड़ी	सिलपहाड़ी सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	41.550		0.00				
14				बन्दगोडा	परासी जुमरी सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार	15/26.07.12	16.140		0.00				
योग									0.000	55.000	55.000		
आवंटित राशि — ₹ पचपन लाख मात्र।													

आवंटित राशि - ₹ पचपन लाख मात्र।

(ओकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अचिनाश कुमार)

सचिव